# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 3/2018 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री महेश चन्द पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता एफबीओ मैसर्स– महेश चन्द महेन्द्र कुमार, अस्पताल रोड, बांदीकुई, जिला दौसा।

– अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप0।
: अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :–

दिनांकः–17.5.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 13.7.2017 को दोपहर 12:30 बजे मैसर्सः– महेश चन्द महेन्द्र कुमार, अस्पताल रोड, बांदीकुई, जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री महेश चन्द पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विकेता की दुकान में एक रैक में करीबन 20 पोलीपैक पाउच 700 ग्राम वजनी **Sugar Boiled Confectionary(Pooja)** आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे में मिलावट का शक होने पर इसमे से 4 मूल पोलीपैक X 700 ग्राम वजन के नमूने की जांच हेतु खरीदे। जिनकी कीमत 180 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा पैक **Sugar Boiled Confectionary (Pooja)** के पैकिटो पर चिपकाकर पैकिटो को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर पैकिटो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1701 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा गोकुल चन्द बैरवा च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 13.7.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 13.7.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 17.7.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ **Sugar Boiled Confectionary (Pooja)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1569/एक्ट/2017/1640 दिनांक 27.7.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Sugar Boiled Confectionary (Pooja)** का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त नियत पेशी दिनांक पर उपस्थित हुआ एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी श्री महेश चन्द पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत नही कर बहस की गई। बहस के दौरान अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी एक छोटा दुकानदार है एवं बाजार से **Sugar Boiled Confectionary(Pooja)** टाफी की थैलिया खरीदकर बेचने हेतु रखी गई थी। प्रार्थी को इनके मिसब्राण्ड होने का ज्ञान नहीं था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल लिये जाने के पश्चात् इसका ज्ञान हुआ है। प्रार्थी के पास उक्त खाद्य पदार्थ का बिल नही है। प्रार्थी की गलती को क्षमा करते हुये प्रकरण ड्रोप फरमावे अथवा कम से कम जुर्माना लगाने का श्रम करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1569/एक्ट/2017/1640 दिनांक 27.7.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Sugar Boiled Confectionary (Pooja)** मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 3/2018 एफ एस एस एक्ट

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त श्री महेश चन्द पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता द्वारा खाद्य पदार्थ **Sugar Boiled Confectionary (Pooja)** मिसब्राण्ड का विक्रय करने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री महेश चन्द पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता एफबीओ मैसर्स– महेश चन्द महेन्द्र कुमार, अस्पताल रोड, बांदीकुई, जिला दौसा पर 7000/–(अक्षरे सात हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 17.5.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.5.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/9291-93

दिनांकः– 17.5.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य ) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री महेश चन्द पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता
   एफबीओ मैसर्स– महेश चन्द, महेन्द्र कुमार, अस्पताल रोड, बांदीकुई, जिला दौसा।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official